



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK70822817663059S
Certificate issued Date : 03-Jun-2020 04:10 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ uk1226404/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122640444451561605420S
Purchased by : AAYUSHMAAN TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT
BALESH
Description of Document : Article 64(A) Trust
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : AAYUSHMAAN TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT
BALESH
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : AAYUSHMAAN TRUST GURUKUL NARSAN BYPRESIDENT
BALESH
Stamp Duty Amount (Rs.) : 890
(Eight Hundred only)



VERIFIED
LOCKED



V.K. Sharma
Advocate
Civil Court, Roorkee

Please write or type below this line

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

न्यास पत्र

मै श्रीमति बालेश पत्नीश्री सतीश कुमार हॉल निवासी खानपुर गुरुकुल नारसन (मौहम्मदपुर
जट)डा0 गुरुकुल नारसन तहसील रुड़की जिला हरिद्वार की निवासी हूँ।
बालेश

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shikshaStamp.com. Any discrepancy in the details or the content available on the website renders it invalid.
2. The key of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मेरी इच्छा आयुष्मान ट्रस्ट शैक्षिक , धार्मिक , सामाजिक आदि कार्यों को करने के लिए बनाने की है। मैं श्रीमति बालेश आज दिनांक 08 जून 2020 दिन सोमवार को 11000 ग्यारह हजार रुपये मात्र की प्रारम्भिक राशि से आयुष्मान ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा करती हूँ।

इस ट्रस्ट का नाम कार्यालय पवित्र उद्देश्य व नियम आदि निम्नलिखित होंगे।

बालेश

ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)

1. ट्रस्ट का नाम— आयुष्मान ट्रस्ट।
2. ट्रस्ट का कार्यालय व पता— गुरुकुल नारसन डा० गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड पिन कोड - 247870
3. कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण भारतवर्ष।
4. उद्देश्य— ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य हैं—
 1. राष्ट्रीय एकता अखण्डता बनाये रखना।
 2. ट्रस्ट का शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
 3. सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राइमरी से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मैडिकल शिक्षा कॉलेज, बी०एड०, एम०एड, योग, कृषि, उद्यान, वानिकी, मत्स्य कॉलेज स्थापित करना उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय स्थापित करना उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना। पुरानी शैक्षिक संस्थाओं की मातृ सभा की सहमति से गोद लेकर उनको संचालित करना व उनकी सहायता करना।
 4. अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, ईसाई, जैन, फारसी आदि के लिये मदरसों गिरजाघरों स्कूलों आदि का खोलना एवं संचालन करना।
 5. समाज के गरीब वर्ग हेतु वैज्ञानिक तकनीकी, मैडिकल तथा साहित्य शिक्षा के लिए प्रयास एवं प्रबन्ध करना। ऑन लाइन परीक्षाएँ सम्पन्न कराना।
 6. स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरुक करना व अस्पताल व मैडिकल कॉलेज की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
 7. अल्पसंख्यकों एवं दलित समाज हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना।
 8. विभिन्न प्रतियोगिताओं की पुस्तकों पत्रिकाओं एवं अन्तराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तर पर समाचार पत्रों का प्रकाशन कराना।
 9. समाज हित में प्रकाशन की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।
 10. बच्चों व युवा वर्ग में खेल के प्रति रुचि का सृजन करने हेतु जिला स्तर से अन्तराष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न खेलों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करना। विभिन्न प्रकार के खेलकूद हेतु छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु कार्य करना। व खेलकूद की कोचिंग देना एवम् विभिन्न खेलों की खेल एकेडमी खोलना व खेलकूद हेतु स्टेडियम बनाना व उसका प्रबन्ध संचालन करना।
 11. जनहित में पशु मैडिकल शिक्षा संस्थान एवं अस्पताल खोलना एवं उनका संचालन करना।
 12. गरीब बेसहारा अल्पसंख्यकों एवं दलित समाज के बाल-बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेन्टर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र तथा सिलाई केन्द्र चलाना।

बलिश

सामाजिक/धार्मिक प्रयोजन हेतु-

13. मन्दिर, अनाथ, वृद्ध आश्रम आदि का निर्माण एवं संचालन करना।
14. समाज के गरीब वर्ग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए शिक्षा एवं आवास का विशेष प्रबन्ध करना।
15. दहेज उन्मूलन मद्य निषेध बाल विवाह परिवार नियोजन गरीबी उन्मूलन दलित समाज हेतु उत्थान कार्य करना और प्रौढ शिक्षा आदि हेतु कार्य करना।
16. बेसहारा अनाथ विकलांग बच्चों के लिए अनाथ आश्रम तथा बेसहारा वृद्धों के लिए आश्रम एवं अस्पतालों का संचालन करना।
17. कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम हेतु कार्य करना।
18. आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करना।
19. विकलांगों एवं विधवाओं हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
20. ट्रस्ट के लाभ हेतु चल अचल सम्पत्ति खरीदना एवं बेचना।
21. अन्य वह कार्य जो ट्रस्ट के हितार्थ आवश्यक हों।
22. शुद्ध वातावरण हेतु व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करना एवं वृक्षारोपण करना। तत्समय प्रचलित समाज की आवश्यकतानुसार शासन की नितियों के अनुरूप कार्य करना। समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए आराम घर का निर्माण करना व उनका प्रबन्ध करना।
23. नशा मुक्ति उन्मूलन हेतु कार्य करना तथा समाज को नशा मुक्त करना।
24. देश विदेश एवं प्रदेश की समउद्देश्य वाली संस्थाओं से उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
25. गउशालाओं का निर्माण करना व उनका संचालन करना। व पशु अस्पतालों का निर्माण करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।
26. खादी एवं ग्राम उद्योगों द्वारा कुटीर एवं उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करना।
27. अल्पसंख्यक एवं पिछड़े व दलित समाज की महिलाओं को स्वालम्बी योजनायें बनाना एवं उन पर कार्य करना।
28. कूड़े कचरों को यान्त्रिक दृष्टि से गैस में बदलना एवं गोबर से बिजली उत्पादन हेतु कार्य करना।
29. ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी योजनाओं के लिए पुरानी सभा/समितियों द्वारा संचालित संस्थाओं को उनकी मातृ सभा की सहमति से गोद लेकर उनका संचालन प्रबन्धन करना।
30. कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृषि कार्यो व कृषि फार्म के लिए भूमि कय करना एवं उद्यान वानिकी फार्म स्थापित करना एवं शिक्षा हेतु कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापित करना।

बालेश

5. न्यास सम्पत्ति का स्वामित्व - ट्रस्ट की सम्पत्ति पर स्वामित्व अध्यक्ष का माना जायेगा।
6. न्यास से लाभ उठाने के पात्र- बिना किसी जाति भेदभाव के भारत वर्ष का नागरिक न्यास से लाभ उठाने का पात्र होगा।
7. न्यासियों की संख्या एवं चयन - अध्यक्ष ही मूल ट्रस्टी होगा। जो जीवन भर अपने पद पर बने रहेंगे। अध्यक्ष अपने विवेक से दो सदस्य ट्रस्टी जो सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे को दो वर्षों के लिए मनोनित करेगा। सदस्य ट्रस्टी के त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु के उपरान्त / कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो कार्यकाल के अन्तर्गत या कार्यकाल समाप्ति पर ट्रस्टी/ट्रस्टियों को अपने विवेक से पुनः 02 दो वर्ष हेतु मनोनित करेगा।

(क) अध्यक्ष का चयन -

1. अध्यक्ष का पद उनकी मृत्यु के उपरान्त ही रिक्त होगा। तब उनका ज्येष्ठ पुत्र ही अध्यक्ष होगा। यदि ज्येष्ठ पुत्र 18 अठ्ठाराह वर्ष की आयु से कम है तो तब तक वह 18 वर्ष का हो जाये या अन्य कोई कारण / परिस्थिति हो तो कमश दादा/दादी अध्यक्ष होंगे।
2. अध्यक्षके पद त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु के उपरान्त अध्यक्ष का ज्येष्ठ पुत्र ही स्वतः मूल ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त होगा।
3. बड़ा पुत्र न होने पर छोटा पुत्र वह न होने पर पुत्री वह न होने पर अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यदि अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार अध्यक्ष नियुक्त करता है तो नियुक्ति के उपरान्त यदि पूर्व अध्यक्ष के पुत्र या पुत्री होते हैं तो पूर्व अध्यक्ष के पुत्र या पुत्री ही स्वतः अध्यक्ष होंगे। इस स्थिति में इच्छानुसार नियुक्त किये गये अध्यक्ष की कोई दावेदारी या अधिकार नहीं होगा।
8. (क)अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-
 1. ट्रस्ट की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
 2. ट्रस्ट मण्डल की बैठक बुलाना।
 3. बैठकों का संचालन करना।
 4. बैठकें स्थगित करने का अधिकार।
 5. बैठक में पारित प्रस्तावों की स्वीकृति देना।
 6. ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति का रख-रखाव।
 7. ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति का कय - विक्रय करना।
 8. न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/शाखाओं में भी अध्यक्ष प्रबन्धन एवं संचालन में सक्षम होगा।
 9. किसी व्यवस्था पर समुचित फैसला न होने पर अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर फैसला लेगा।
 10. जरूरत पड़ने पर नियमों एवं उपनियमों में संशोधन करना। लेकिन यह संशोधन अध्यक्ष पद को लेकर नहीं होगा।

बालेश

(ख) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्ति की देखभाल करना।
2. ट्रस्ट मण्डल की आय के स्रोतों को बढ़ाना।
3. ट्रस्ट मण्डल की बैठक अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही रजि० में दर्ज करना व ट्रस्ट कार्यालय से सम्बन्धित पत्राचार करना।

(घ) कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्ति एवं आय-व्यय का लिखित रूप में हिसाब किताब रखना तथा वार्षिक ऑडिट कराना तथा ऑडिट रिपोर्ट अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल के सम्मुख रखना।
2. संस्था को प्राप्त हुए धन की रसीद देना तथा धन बैंक में जमा करना।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची

क्र०सं०	नाम	पता	पद	व्यवसाय	आधार सं०
1.	श्रीमति बालेश	पत्नी श्री सतीश कुमार हॉल निवासी ग्राम खानपुर गुरुकुल नारसन मौहम्मदपुर जट डा० गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार। पिन कोड - 247670	अध्यक्ष	गृहणी/ समाजसेवी/कृषि	941644183482
2	श्री सचिन कालियर	पुत्र स्व० नेपाल सिंह निवासी- ग्राम झबीरण जट डाकखाना- सरसावा जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	सचिव	नौकरी/कृषि	613147343563
3	पूजा श्री	पुत्री श्री सतीश कुमार निवासी 20 खानपुर मौहम्मदपुर जट गुरुकुल नारसन डा० गुरुकुल नारसन जिला हरिद्वार। पिन कोड - 247670	कोषाध्यक्ष	नौकरी/गृहणी	999674847328

1. वित्तीय वर्ष- ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से आगामी मार्च होगा।
2. न्यास की सदस्यता- ट्रस्ट के ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार एवं निकालने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही होगा। यदि न्यासी मण्डल अपने उद्देश्यों के प्रति सही कार्य नहीं कर रहा है। तब न्यासी मण्डल को भंग करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

बालेश

11. बैठक—(क)न्यास की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य होगी। और अधिकतम अध्यक्ष की अनुमति से 7 सात दिन की पूर्व सूचना पर होगी। और 2/3 बहुमत से निर्णय होंगे।
(ख)किसी व्यवस्था पर समुचित निर्णय न होने पर अध्यक्ष अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर अपने विवेक से निर्णय लेंगे।
12. कोरम—बैठक में ट्रस्ट कार्यकारिणी सभा हेतु कोरम अध्यक्ष सहित कुल 2/3 दो तिहाई की उपस्थिति से होगा।
13. न्यासी पद समाप्त— अध्यक्ष को निम्न कारणों से किसी भी ट्रस्टी को हटाने का अधिकार होगा—
1. सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर।
 2. नैतिक अपराध में दण्डित होने पर।
 3. ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य होने पर।
 4. आचरण भ्रष्ट होने पर।
 5. पागल होने पर।
 6. ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर।
 7. लगातार दो मीटिंगों / बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 8. अध्यक्ष को यह संज्ञान हो कि ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है या ट्रस्ट के विरुद्ध प्रचार कर रहा है तो अध्यक्ष अपने विवेक से ट्रस्टी को हटा सकता है।
14. कानूनी कार्यवाही— ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली कानूनी कार्यवाही अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर के नाम से की जा सकेगी।
15. ट्रस्ट की कार्यवाही रजिस्टर, कैश, बुक व अन्य अभिलेख जो आवश्यक हो सचिव द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे।
16. धन प्राप्ति—
(अ) ट्रस्ट अपनी तरफकी हेतु सरकारी गैर सरकारी धन प्राप्त कर सकता है तथा स्वयं सेवा संस्थाओं से अथवा व्यक्तियों से दान स्वरूप सहायता प्राप्त कर सकता है। सांसद निधि विधायक निधि से सहायता प्राप्त कर सकता है।
(ब) ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी बैंक डाकघर में रहेगा तथा ट्रस्ट का खाता पद नाम से "अध्यक्ष आयुषमान ट्रस्ट" के नाम से खोला जायेगा। खाते का संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।
17. अभिलेख — कार्यवाही रजिस्टर एजेण्डा रजिस्टर सदस्यता रजिस्टर कैश बुक व अन्य आवश्यक कागजात।
18. ट्रस्ट का विघटन— ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा। जिसमें अध्यक्ष व सचिव कोषाध्यक्ष तीनों का बहुमत हो। एवं अध्यक्ष के विवेक या विल के अनुसार होगा। विक्रय करने में न्यासकर्ता भारतवर्ष का हिन्दू नागरिक होना चाहिए।

व्यक्ति

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 121 वर्ष 2020



वापेश

आयुष्मान ट्रस्ट गुरुकुल
नारसन द्वारा अध्यक्ष
वापेश



दीपक

दीपक कुमार सालार



अमित

अमित कुमार



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, रुडकी, प्रथम

08 Jun 2020

ट्रस्ट की सम्पत्ति - ट्रस्ट के पंजीयन हेतु वर्तमान में ट्रस्ट के पास 11000/- रुपये की धनराशि उपलब्ध है। जिसके आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। तथा उक्त 11000/- रुपये के अतिरिक्त उक्त ट्रस्ट के पास वर्तमान में कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। यह हमारे द्वारा निर्मित प्रथम ट्रस्ट है तथा हमारे संज्ञान में इस नाम से पूर्व कोई ट्रस्ट गठित नहीं है।

अतः न्यास पत्र लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करता हूँ कि हमने पूरा न्यास पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत एक ट्रस्ट का गठन किया गया है।

दायें हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा

बायें हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठा

अतः यह न्यास पत्र लिख दिया गया है। ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

दिनांक-08/06/2020 ई0

साक्षी

1. श्री दीपक कुमार सालार
पुत्र श्री सतीश कुमार ग्राम- थीथकी कवादपुर
डा0 मंगलौर जिला-हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

2. श्री अमित कुमार
पुत्र श्री महीपाल सिंह
शिव मन्दिर वाली गली रस्ता
गणेशपुर राइजिंग जिला-हरिद्वार
उत्तराखण्ड।

लेखक- श्री विजयकुमार शर्मा एडवोकेट।

V. K. Sharma
Advocate
Civil Court, Roorkee